<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>08.11.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत मुंबई में 5 स्थानों पर 07.11.2024 को तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स कुंतिला फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (केएफपीएल), मेसर्स शगुन एंटरप्राइजेज, मेसर्स कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड और मेसर्स एमडीबी टूर्स एंड फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में एफएफएमसी (पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स) द्वारा विदेशी मुद्रा की संदिग्ध अवैध बिक्री और वितरण के मामले में चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 4.6 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा (कई देशों की) और 0.04 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई।

ईडी की जांच वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मेसर्स केएफपीएल, एक एफएफएमसी, जिसका लाइसेंस आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2023 में रद्द कर दिया गया था, के विदेशी मुद्रा कारोबार में देखी गई असामान्य वित्तीय गतिविधियों के आधार पर शुरू की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स केएफपीएल, मेसर्स एमडीबी टूर्स एंड फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बैंक खातों का इस्तेमाल विभिन्न चैनलों से नकदी जमा करने/धन प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल एफएफएमसी द्वारा एडी-श्रेणी- II लाइसेंसधारी मेसर्स कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड से थोक में विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए किया गया था और उसके बाद उक्त विदेशी मुद्रा को अनधिकृत/अवैध चैनलों के माध्यम से बेचा गया था। जांच से पता चला है कि 2022-23 में 14 महीने की छोटी अवधि के दौरान मेसर्स केएफपीएल के बैंक खातों में 370 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जमा थी। ईडी की जांच में आगे पता चला कि मेसर्स कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न एफएफएमसी से थोड़े समय के भीतर सैकड़ों करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे थे, जिनके पास इतने बड़े व्यापार/लेनदेन की मात्रा का इतिहास/विशेषज्ञता नहीं थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।